राजस्थान सरकार द्वारा मांगी गई सहायता

685. **डा० अबरार अहमद खान:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान में आयी भीषण बाढ़ में हुई जन-धन की हानि के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है, यदि हां, तो कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है और कब, केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है और यदि राज्य सरकार ने कोई सहायता नहीं मांगी है, तो केन्द्रीय सरकार क्या सहायता प्रदान करने का विचार रखती है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस बाढ़ से जन-धन की हानि के संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई ब्यौरा दिया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस बारे में राज्य सरकार से ब्यौरा मांगेगी; और

(ग) इस वर्ष के दौरान कौन-कौन से राज्य बाढ़ से प्रभावित हुए है तथा उससे कितने जन-धन की क्षति हुई है और केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा): (क) से (ग) चालू मानसून मौसम के दौरान, अब तक ग्यारह राज्यों (राजस्थान सहित) और एक संघ राज्य क्षेत्र ने भारी वर्षा, बाढ़ों और भू-स्खलनों आदि के कारण क्षजत होने की सूचना दी है। इन प्रभावित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7.8.90 तक दी गई सूचना के अनुसार जान-माल आदि की क्षति की मात्रा अनुबंध दी गई है। [देखिए परिशिष्ट 155, अनुपत्र संख्या 20]

नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के फलस्वरूप, राहत खर्च के लिए वित्त पोषण करने की स्कीम 1.4.1990 से परिवर्तित हो गई है। आवंटित धनराशि से प्रत्येक राज्य के लिए एक आपदा राहत निधि का गठन किया गया है, जिसमें से 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा गैर-योजना अनुदान के रूप में चार तिमाही किश्तों में दी जाएगी और शेष 25 प्रतिशत राशि की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपने निजी स्रोतों से की जाएगी। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति उन मानदंडों सहित, जिनके आधार पर राहत मुहैया की जायेगी, राहत व्यय से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेगी। आपदा राहत निधि के सृजन के बाद प्राकृतिक आपदाओं के आने पर होने वाले संपूर्ण खर्च को पूरा करने की जिम्मेवारी अब राज्य सरकारों की हो गई है।

आपदा राहत निधि के तहत विभिन्न राज्यों को आवंटित धनराशि तथा आपदा राहत निधि में केन्द्र के योगदान के रूप में अब तक निर्मुक्त की गई धनराशि को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र अनुपत्र में है। [देखिए परिशिष्ट 155, अनुपत्र संख्या 21]

Allotment of Accommodation to the Office Bearers of the Various Political Parties

686. **SHRI PRAMOD MAHAJAN:**
SHRI KRISHAN LAL SHARMA:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the guidelines laid down for the allotment of bungalows / flats / houses to the office bearers of the various political parties and also for parties (in and outside Parliament) and their affiliated wings and the front organisations like the Trade Unions, Mahila Voluntary Force and others;

(b) the particulars of such accomodations allotted by Government so for and the period for such allotments, and also the names of allottees;

(c) whether the accommodation still continues to be occupied by the allottees; if so, the rent and arrears payable by them and the reasons for their continuing to occupy the accommodation; and

(d) whether Government propose to the revise the policy/guidelines in this regard; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) A copy of the guidelines for allotment to political parties / groups is enclosed (*See* below)

(b) and (c) No separate statistics are maintained. However, the particulars of the present allottees are given in the